

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Discussion on the Amendments made by Rajya Sabha to Government Bill-under consideration

HON. SPEAKER: Hon. Members, the House would now take up consideration of the amendment made by Rajya Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha. As you are aware, the hon. Minister has given notice to move an amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha and also further amendment regarding change of year from 2017 to 2018. I may inform you that in case the House adopts the alternative amendment, the original amendment made by Rajya Sabha would stand substituted by the alternative amendment. As such, the original amendment made by Rajya Sabha will not be proposed for vote of the House. Hon. Members, the alternative amendment seeks to insert a new clause 3 in the Bill. In this regard, I would like to invite your attention to Direction 31, which provides that “when an amendment for insertion of a new clause in a Bill is adopted by the House, the Speaker shall put the question that the new clause be added to the Bill”. Therefore, in case the alternative amendment is adopted by the House, I shall also propose the new clause 3 to the vote of the House.

Hon. Members, since we are to consider a Constitution (Amendment) Bill, I shall propose the Motion for consideration of Rajya Sabha amendment, the motion for adoption of amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha, adoption of new clause 3, adoption for further amendment for change of year and the motion for passing of the Bill to the vote of the House by division through special majority as required under Article 368 of the Constitution. Keeping in view the spirit of Rule 156, amendments given notice of by private Members to the alternative amendment proposed to be moved by the hon. Minister shall be decided by simple majority.

Now, I call Shri Thaawar Chand Gehlot, hon. Minister, to move that the amendment made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

(एक) कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक*, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :-

कि पृष्ठ 2 और 3, खण्ड 3 का लोप किया जाए।

HON. SPEAKER: Now, hon. Minister to move the alternate amendment to the amendment made by Rajya Sabha in the Bill, as passed by Lok Sabha.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

(दो) कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन कि पृष्ठ 2 और 3, खण्ड 3 का लोप किया जाए, के स्थान पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के निम्नलिखित वैकल्पिक संशोधन को प्रतिस्थापित किया जाए :-

कि पृष्ठ 2 और 3, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,-

3. संविधान के अनुच्छेद 338क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“ 338ख.(1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

(क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मानीटर करना;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षापायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना तथा सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राएट्रपति को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, उन रक्षापायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ड.) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना, जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, उन रक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, किए जाने चाहिए; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राएट्रपति, संसद द्वारा किए गए उपबंधों के अध्यक्षीन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) राएट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, और शिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रापति नियमों द्वारा अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

HON. SPEAKER: Now, hon. Minister to move further amendment regarding change of year.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

(तीन) भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले लोक सभा द्वारा यथापारित तथा संशोधन के साथ राज्य सभा द्वारा लौटाए गए विधेयक में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए:-

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

“2017” के स्थान पर

“2018” प्रतिस्थापित किया जाए”।

HON. SPEAKER: Shri N. K. Premachandran – Not present.

Now, Shri Bhartruhari Mahtab to move his amendment no. 3 to the alternate amendment moved by the hon. Minister.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Yes. While moving my amendment because last April, when this Bill was moved, there was a full-scale discussion.

HON. SPEAKER: Now, you only move the amendment.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Okay. I beg to move:

“That in the amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha, page 1, in the proposed new article 338B, *after* clause (2),- ”

insert “Provided that at least one from amongst the Chairperson, Vice Chairperson and three other members shall be a woman”. (3)

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chaowdhury – Not present.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I beg to move:

“That in the amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha, page 3, in the proposed new article 338B, *after* clause (9),- ”

insert “Provided that such consideration shall not be mandatory for a State Government in respect of policy matters affecting socially and educationally backward classes, which are included in List II-State List of the Seventh Schedule to the Constitution.”. (5)

HON. SPEAKER: Now, hon. Minister, say something about this Bill.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, राज्य सभा में जब यह विधेयक गया था, तो वहां उन्होंने खण्ड तीन को विलोपित करने का प्रस्ताव पारित किया था और खण्ड तीन में उसके गठन से संबंधित प्रावधान, कि इतने सदस्य होंगे और इस-इस प्रकार के सदस्य होंगे, इस प्रकार का प्रावधान किया गया था।

13.00 hrs

परंतु उन्होंने कहा कि इसमें एक महिला सदस्य को होना अनिवार्य है और एक अल्पसंख्यक सदस्य का होना भी अनिवार्य है। इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया, जिसे सरकार ने नहीं माना, उन्होंने वोटिंग के माध्यम से इसे विलोपित करने का निर्णय लिया। इस संबंध में हमने जो विकल्प तैयार किया है, खंड 3 में हम किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, जिसे लोक सभा ने पारित किया था, हम उसी प्रकार का प्रावधान कर रहे हैं। सदस्य योग्यता के आधार पर होते हैं। मैंने लोक सभा में आश्वासन भी दिया था कि जब नियम बनाएंगे तो महिला सदस्य का प्रावधान करेंगे और उसी आधार पर लोक सभा ने उसे स्वीकृति दी थी, लेकिन वहां उन्होंने नहीं माना, महिला सदस्य हो, इसका प्रावधान इसमें किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने कहा था कि एक अल्पसंख्यक सदस्य भी होगा। जब ओबीसी कमीशन गठित होगा तो ओबीसी से संबंधित जो वर्ग उसमें आते हैं उसमें से ही सदस्य बनाने का प्रावधान है। ये दोनों बातें वहां से अस्वीकार कर दी। माइनारोटी कमीशन अलग से बना हुआ है, एससी कमीशन अलग से बना है, एसटी कमीशन भी अलग से बना हुआ है, उनका प्रतिनिधित्व उस आयोग में अपने आप होता है और हो रहा है।

अब हमने खंड 5 में एक संशोधन प्रस्तावित किया है, पहले प्रावधान था कि आयोग केवल सलाह देने का काम करेगा और सलाह देकर अपना प्रतिवेदन गवर्नर को देगा, लोक सभा में अनेक माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के विषय रखे थे। राज्य सभा में भी यह कहा कि गवर्नर राज्य सरकार को नजरअंदाज करेंगे, इस तरह की भावना परिलक्षित होती है। हमने उसमें विकल्प दिया है कि "गवर्नर"

शब्द की जगह "सरकार" शब्द जोड़ रहे हैं अर्थात् सरकार की राय से ही आयोग अपना प्रतिवेदन बनाएंगे। 338 ख, 5 ग में इस प्रकार का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से हमने संशोधन प्रस्तुत करते हुए यह बात कही है, आयोग केवल सलाहकार के रूप में ही काम करेगा, यह अधिकार पर्याप्त नहीं है, हमने उसमें कहा कि जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या भाग ऐसे मामले से संबंधित हैं जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा। रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफारिश पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की स्वीकृति के कारणों, यदि कोई हो, सहित राज्य के विधान मंडल समक्ष रखा जाएगा। हमने तीन प्रकार का प्रावधान इसमें किया है, इस पर लोक सभा में विस्तार से चर्चा हो गई है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

१ (एक) कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :-

कि पृष्ठ 2 और 3, खण्ड 3 का लोप किया जाए।

(दो) कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन कि पृष्ठ 2 और 3, खण्ड 3 का लोप किया जाए, के स्थान पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के निम्नलिखित वैकल्पिक संशोधन को प्रतिस्थापित किया जाए :-

कि पृष्ठ 2 और 3, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,-

3. संविधान के अनुच्छेद 338क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ 338ख.(1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अध्यक्ष, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

(क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मानीटर करना;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षापायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना तथा सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राएट्रपति को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, उन रक्षापायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ङ.) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना, जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, उन रक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, किए जाने चाहिए; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राएट्रपति, संसद द्वारा किए गए उपबंधों के अध्याधीन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) राएट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले जापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले जापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, और शिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो राएट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

(तीन) भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले लोक सभा द्वारा यथापारित तथा संशोधन के साथ राज्य सभा द्वारा लौटाए गए विधेयक में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए:-

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

“2017” के स्थान पर “2018” प्रतिस्थापित किया जाए”।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : अध्यक्ष जी, इसके पहले ही सदन में इसकी चर्चा हुई थी। आज 3 जनवरी देश की पहली शिक्षिका के रूप में सावित्री बाई फुले जी की जयंती है, इस अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं। जिस प्रकार यह बिल यहां आया है। मंत्री जी सरकार की तरफ से अमेंडमेंट लेकर आए हैं। मैं ओबीसी की स्टैंडिंग कमेटी के मंबर के रूप में पिछले तीन सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। सदन के सदस्य उसमें हैं।

यहां पिछले कई दिनों से ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी ने बात रखा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से दो बार मिल चुके हैं। ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी ने जो बातें सरकार के सामने रखी थीं, जो रिक्वेस्ट सरकार के सामने रखी थी, उसका संज्ञान सरकार ने नहीं लिया है। हमने ओबीसी मिनिस्ट्री के बारे में बात की थी क्योंकि देश में 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी है। ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की डिमांड रही है, युनेनिमस डिमांड रही है कि जब तक ओबीसी के लिए सैपरेट मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे, सैपरेट बजट नहीं देंगे, तब तक सही मायने में ओबीसी के उत्थान की बात नहीं कर सकते हैं।

आज सदन में भीमा कोरेगांव के बारे में चर्चा हुई, मैं भी उस बारे में निरपोध व्यक्त करना चाहूंगा जो घटना हुई है। यहां जो बातें निकलकर पिछले तीन साल से आ रही हैं, मंत्री जी आप जवाब बहुत अच्छा देते हैं लेकिन उसमें तथ्य बहुत कम हो रहे हैं। कैसे तथ्य कम हो रहे हैं, जैसे पिछले तीन साल में पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स के स्टुडेंट्स की ओबीसी स्कॉलरशिप जिस प्रकार से कम हुई, पहले कभी कम नहीं हुई थी। मेरी आपसे विनती है जो स्कॉलरशिप पहले थी, उसमें बढ़ोतरी कीजिए,

कम मत कीजिए। स्कूल में 25 रुपए स्कॉलरशिप ओबीसी बच्चों के लिए है, अगर 25 रुपए स्कॉलरशिप है तो इसमें वह क्या करेगा? वह कौन सी बुक या पैन खरीद सकेगा। आप यह बिल ला रहे हैं, हम अपनी तरफ से समर्थन जरूर करेंगे लेकिन ओबीसी के उत्थान की बात सरकार सिर्फ कह रही है, लेकिन सही मायने में अमल नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि कमीशन ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ओबीसी कमेटी ने बहुत सालों से इसके बारे में कहा है। इस बिल को तीन साल पास करने में क्यों लग रहे हैं, यह भी सवाल है? सही मायने में जिस प्रकार से सरकार को सीरियसली काम करना चाहिए था, कर नहीं पाई है।

हमने पिछली बार भी कहा था, ओबीसी कमेटी ने पिछली बार क्लियरली कहा था कि ओबीसी इन्कलूजन की इनकम की लिमिट बढ़ानी चाहिए। हमारी युनेनिमस रिकमेंडेशन थी कि जब तक इनकम लिमिट नहीं बढ़ाएंगे, सही मायने में ओबीसी को न्याय नहीं मिल सकता है। इस बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है, सरकार को इस बारे में सोचने की जरूरत है।

अभी मंत्री जी ने बड़ा अच्छा तर्क दिया कि माइनोरिटी कमीशन है इसलिए माइनोरिटी मैम्बर नहीं रहेगा, एससी कमीशन है इसलिए एससी मैम्बर नहीं रहेगा। इसी तरह महिला आयोग है, क्या महिला मैम्बर नहीं रखेंगे? महिला मैम्बर तो रखनी पड़ेगी, 50 प्रतिशत आबादी है। 50 प्रतिशत आबादी को आप रिप्रेजेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं, यह लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

मैंने पिछली बार विनम्रता से अमेंडमेंट दिया था, आपने कहा था कि हम इसके बारे में सोचेंगे, पोजिटिवली सोचेंगे, इसलिए हमने विदड़ा किया था। वेणुगोपाल जी और मैंने अमेंडमेंट मूव किया था। अगर राज्य सभा ने इस अमेंडमेंट को स्वीकार किया है कि एक महिला मैम्बर चाहिए तो क्यों 50 प्रतिशत महिलाओं को न्याय नहीं देना चाहते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि रूल में लेना चाहते हैं। रूल में क्यों लेना चाहते हैं? क्यों इसका प्रावधान एक्ट में नहीं करना चाहते हैं? यह सवाल है। यहां कोई अच्छी बात विपक्ष या किसी और के द्वारा आई है, तो उसे स्वीकार कर लीजिए। एक महिला मैम्बर उसमें एड हो, अगर यह अमेंडमेंट राज्य सभा का है, तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इसमें प्रेस्टिज इश्यू करने की जरूरत नहीं है। जब आप कह रहे हैं “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” “महिला सशक्तिकरण”, तब आप महिलाओं को एक्ट में अलाऊ नहीं कर रहे हैं। यह क्या लॉजिक है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप जो कहेंगे, वही कायदा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारी तरफ से अच्छी बात है तो एक्सेप्ट कीजिए, यह हमारा कहना है।

6 अप्रैल, 2017 को हमने ये बातें कही थीं, आपने कहा था कि हम रूल में करेंगे। मैं यहां उदाहरण देना चाहता हूं, मेंटल हैल्थ केयर बिल में मैंने बात कही थी, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि रूल्स में एड करेंगे, रूल्स में कुछ एड नहीं हुआ है। रूल्स बन गए, हमने जो अमेंडमेंट प्रपोज किया था, सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। यह मत कीजिए, जो अच्छा है, हमसे लीजिए।

यहां जो बातें डिस्कस हुई थीं, राज्य सभा में अमेंडमेंट पास हुआ, सरकार इससे कहीं न कहीं बाहर जाना चाह रही है। 50 प्रतिशत देश की आबादी अगर ओबीसी से है, तो एनसीबीसी कमीशन में

पांच के बजाय सात मैम्बर होंगे, आठ मैम्बर होंगे, दस मैम्बर होंगे तो सरकार को क्या दिक्कत है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

अगर ज्यादा मैम्बर्स होंगे, तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो सही मायने में वहां सबको मौका मिल सकेगा। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि आबादी बढ़ गयी है। यहां पर कहा जा रहा है कि एससी कमिशन में है, एसटी कमिशन में है, इसलिए हम ओबीसी कमिशन में रखना चाह रहे हैं, तो यह कोई लॉजिकल तथ्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैम्बर्स बढ़ाने की जरूरत है। आप मैम्बर्स बढ़ाकर उन्हें एप्वाइंट करने का प्रौसेस कर रहे हैं, तो आपको रिमूवल के बारे में भी कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। जो मैम्बर्स अच्छा काम कर रहे हैं, जो चेयरमैन अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप रिवाइड दें। लेकिन अगर कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो उस बारे में भी सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार ने ओबीसी कमेटी के रिकमेंडेशन्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से आपके माध्यम से सरकार के सामने यह बात लाना चाहता हूं कि हम इस कमिशन की बात जरूर करें। वैसे कमिशन के नाम बदलने की बात भी राज्य सभा में हुई थी। हम इस बारे में भी सरकार से स्पेटीकरण चाहते हैं कि एजुकेशनली और बाकी बैकवर्ड क्लासेज के बारे में हम बात करेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है?

अध्यक्ष महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ओबीसी के हित के बारे में सरकार को जिस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, वैसा ध्यान नहीं दे रही है। महिलाओं के प्रति, सावित्रीभाई फुले के जन्मदिन पर आप महिलाओं के प्रति अन्याय कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इसलिए आप ओबीसी के बारे में ज्यादा ध्यान दें, मैं यह विनती यहां पर करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह देश के आजाद इतिहास में एक ऐतिहासिक समय है, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग थी। देश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 52 फीसदी से अधिक है, लेकिन अभी तक इस वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा था। इस संबंध में आयोग बना, लेकिन आयोग को कोई अधिकार नहीं था। देश में कई राजनीतिक दल इस मांग को उठाते रहे कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाये, लेकिन आज तक उस बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं देश के प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया कि जिस तरह से एससी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और एसटी आयोग को अधिकार है, उसी तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। ... (व्यवधान) संविधान में पिछड़ा वर्ग लिखा भी नहीं है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उसमें 123वां संशोधन करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को निर्देशित किया। तब 10 अप्रैल को यह विधेयक लोक सभा में आया, उसमें लंबी बहस हुई और यह जरूरत बताई गई कि आखिकार इसमें आयोग को क्यों संवैधानिक दर्जा दिया जाये और उसके आधार पर इस सदन ने उसे पूरे बहुमत से पारित किया। लेकिन राज्य सभा में उस विधेयक को फिर से लटकाने की कोशिश हुई। राज्य सभा में बहस हुई और बहस में

संशोधन आये। संशोधनों के बाद कहा गया कि पहले इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया। वह विधेयक सलेक्ट कमेटी में चला गया। सलेक्ट कमेटी ने अपनी अनुशंसाएं करके भेजीं और उसके बाद उसे राज्य सभा ने पारित किया। उसमें जो संशोधन किया गया है इतना बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस की यह इच्छा थी कि इसे कैसे रोका जाये, लटकाया जाये। यह कोशिश की गयी। मैं इसमें माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने किये हुए वायदे को पूरा करने के लिए पुनः उस संशोधन में कुछ और संशोधन करके। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को फिर से यहां प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी श्री राजीव सातव जी कह रहे थे कि आज महिला दिवस है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज महिला दिवस न होकर श्रीमती सावित्री भाई फुले का जन्मदिन है।

...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : वह कह रहे थे कि आज श्रीमती सावित्री भाई फुले का जन्मदिवस है।

महिलाओं के सम्मान में, इसमें महिलाओं को सदस्य बनाने का प्रावधान किया जाए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिला सदस्य के रूप में भी नियुक्ति होगी, उसके लिए जो नियम बनाए जाएंगे, उनमें इसका प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि उनकी आबादी 50 फीसदी है। जहां तक अल्पसंख्यकों का मामला है, जो पिछड़े वर्गों की सूची है, उसमें कई समाज एवं धर्मों के लोग हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। जो पिछड़ा वर्ग में आएगा, उसको निश्चित तौर से सदस्य के रूप में नियुक्ति का अधिकार रहेगा। इसके लिए अलग से कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कौन सा राजनीतिक दल इस वर्ग के लिए कितना सोच रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यह साबित करके दिखा दिया कि हम पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको पूरा हक देकर रहेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ने का काम हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें जो संशोधन किए गए, उनका कोई औचित्य था, अन्यथा अब तक आयोग का गठन हो जाता। प्रधान मंत्री जी ने यहां तक कहा है कि पिछड़ों में भी जो सबसे पिछड़े हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक कमेटी गठित की है, जो पूरे देश में जाकर अध्ययन कर रही है कि कौन से ऐसे लोग हैं, जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है या उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उनके लिए अलग से व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस आयोग को संवैधानिक अधिकार मिलने जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों की शिकायतों को कोई सुनता नहीं था और दर्ज नहीं करता था। एससी आयोग के पास अधिकार था, लेकिन एससी आयोग हमेशा कहता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, इसलिए हम इनकी शिकायतों एवं ग्रीवांसेज को नहीं सुन सकते हैं। हजारों की संख्या में ऐसी शिकायतें थीं। सभी विभागों में उन कर्मचारियों की हालत देखिए, वहां उनके नोडल अधिकारी तक नहीं बने हैं और उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है। इस तरह की तमाम समस्याएं थीं। वे लोग कहां जाएं? पूरी तरह से निराशा का भाव था। आज स्कूलों-कॉलेजों को देख लीजिए, वहां आरक्षण का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स की नियुक्ति में एक स्तर तक उन्होंने सुधार किया है,

लेकिन एक स्तर के बाद उसे छोड़ दिया है। एम्स, पटना में भी नहीं हुआ। जहां एम्स खुले हुए हैं, उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे कई संस्थान मैंने राज्य सरकारों में भी देखे, जहां पर पिछड़े वर्ग के बच्चों को एडमिशन में 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए, लेकिन वहां उनको वह अधिकार नहीं मिलता है। आखिरकार वे कहां जाएं? इनमें से जो लोग मेरिट में आते हैं, उनको OBC कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जबकि उनका अधिकार है कि मेरिट में अनेक बार कि वे जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, भले ही वे ओबीसी हैं। इस तरह की तमाम शिकायतों का समाधान कौन करेगा? आज पूरे देश में, जब से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देने की बात माननीय प्रधान मंत्री जी ने कही, चारों तरफ एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं दक्षिण भारत के कई राज्यों में गया, वहां बड़े-बड़े प्रतिनिधिमंडल आकर मिलते थे और कहते थे कि सचमुच इसकी कितनी जरूरत थी। उस जरूरत को कौन पूरा कर रहा है? आज हमारी सरकार उसे पूरा कर रही है। लोगों के मन में एक आशा जगी है, एक विश्वास और भरोसा जगा है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी जी की सरकार है। जैसा उन्होंने कहा है - 'सबका साथ, सबका विकास,' सचमुच वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ऐसी सरकार देने वाला, इस देश में मैंने पहला ऐसा प्रधान मंत्री देखा है। उन्होंने पहले दिन से जो कमिटमेंट किया है, उसे पूरा कर रहे हैं। अभी तीन तलाक का मामला आया। क्या तीन तलाक को कानूनी दायरे में नहीं लाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जब एक आदेश दिया तो उसे हमारी सरकार ने एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। यह निश्चित तौर पर उनका हक था, उनका अधिकार है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हमेशा इस बात के लिए प्रयास करता है कि सभी को सामाजिक न्याय मिले। मैंने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय को सिफारिश भेजी थी।

उस सिफारिश में मैंने कहा था कि पिछड़े-वर्ग के बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वह बहुत कम है। वह सर्वाधिक राशि एस.सी. वर्ग के बच्चों को चली जाती थी। चूंकि क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। मेरा एस.सी. वर्ग के बच्चों से कोई विरोध नहीं है। अच्छी बात है, उनको और मिलना चाहिए। लेकिन उसमें ओ.बी.सी. के बच्चों के लिए फंड की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। वह बात जब हमने कही तो मैं माननीय मंत्री जी और सामाजिक न्याय मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इस बार व्यवस्था की है। इस बार उन्होंने उनके लिए भी एक व्यवस्था की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यह विधेयक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है।

पहले मंडल कमीशन बना, काका कालेलकर आयोग बना और इसके बाद कई राज्यों ने आयोग बनाये। उन सबने अपनी सिफारिशों में कहा था कि इस वर्ग को न्याय दिलाया जाए। इस वर्ग को न्याय पाने का हक है। सामाजिक और आर्थिक रूप से यह बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। वरेण 2011 में सेंसस जारी हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वरेण 2011 में जब जनगणना हुई थी, सबसे पहले 1931 में हुई थी। उसके बाद फिर 2001 में हुई। इसके बाद 2011 में हुई। 2011 में जब गणना शुरू हुई तब इसी हाउस में, वरिष्ठ सदस्य आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बैठे हुए थे और उसमें और भी सदस्य थे। सबने उस समय सदन में सवाल उठाया था। माननीय राम विलास पासवान जी भी हैं और सबने कहा था कि जो सेंसस हो रहा है, उसमें पिछड़े वर्ग का भी सेंसस कराया जाए और उनको डिक्लेअर किया जाए। उस समय माननीय प्रणव मुखर्जी जी सदन के नेता थे। उन्होंने इस बात को कबूल किया और निर्देश भी जारी किया। जहाँ तक मेरी जानकारी है सेंसस को उजागर

नहीं किया गया, जो समिति बनी थी सर्वेक्षण की, जिनको अधिकार मिला था, उन्होंने अपनी सिफारिश सामाजिक न्याय मंत्रालय को दे दिया है कि वे इसे जारी कर सकते हैं।

मैं आज यहां इस सभा में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस सेंसस को जल्दी से जल्दी घोषित करें, सार्वजनिक करिए, इसको प्रकाशित करिए ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाया जा सके। आज जरूरत इस बात की है कि इस देश में जो महाविद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके जो पास-आउट बच्चे हैं, आज जब वे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की परीक्षा या अन्य सर्विसेज की परीक्षाओं में बैठते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनको क्रीमी लेयर की सीमा में बांध दिया जाता है। क्रीमी लेयर की यह स्थिति है कि अगर क्रीमी लेयर रहेगा तो उनकी नियुक्ति नहीं होगी, जैसे इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही इशारा किया था कि सरकार अगर चाहे तो उसमें आर्थिक आधार लगा सकती है। यह बात सही है कि आरक्षण में जिनको एक बार मौका मिला गया, उनको बार-बार न मिले। लेकिन चतुर्थ श्रेणी का कोई चपरासी भी है तो उसको सातवां वेतन आयोग मिलना शुरू हो गया है और यदि सातवें वेतन आयोग के तहत उसके वेतन, उसकी कृषि आय को भी उसकी आमदनी में अगर जोड़ देंगे तो चपरासी का बच्चा आई.ए.एस. कभी नहीं बन सकता। इसीलिए क्रीमी लेयर जैसे विषय को हटाया जाना चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो अति पिछड़ों की पहचान के लिए समिति बनायी है उस समिति द्वारा ओ.बी.सी. के किस वर्ग को अभी तक लाभ नहीं मिला उस की पहचान की जायेगी। यह सही है। जिनको एक बार आरक्षण का मौका मिला है, बार-बार उनको न मिले। जब हम कुछ कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि क्रीमी लेयर को हटाया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर को हटाकर सामाजिक और शैक्षणिक आधार रहे, लेकिन उसमें यह आर्थिक आधार देखा जाए कि जिसको मौका मिला है, उसको दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है।

मैं सांसद हूँ। मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों को भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको मौका नहीं मिला है, लेकिन यदि कोई मेरी बिरादरी का है, कोई यादव बिरादरी का है, कोई अन्य बिरादरी का है, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में वह आगे हो सकता है, सर्विस क्लास में भी आगे हो सकता है। वह आर्थिक आधार पर भी मजबूत होगा लेकिन अगर कभी आरक्षण का मौका उसको नहीं मिला तो क्रीमी लेयर की सीमा में रहकर वह जीवन में उसका कभी लाभ नहीं उठा सकता। यह कहीं न कहीं न्याय नहीं है। इसको सामाजिक न्याय की श्रेणी में लाना चाहिए। अगर एक बार मौका नहीं मिला तो निश्चित तौर पर उसको मौका पाने का हक है, चाहे वह कोई भी हो।

आज जनसंख्या के आधार पर भी आरक्षण व्यवस्था पर विचार करने की जरूरत है। एससी वर्ग में बहुत ऐसे हमारे भाई-बहन हैं और एसटी वर्ग में बहुत ऐसे भाई बहन हैं, जिनको पूरी तरह से अधिकार मिलना चाहिए।

मैं अभी तमिलनाडु गया था। तमिलनाडु में ऐसे कई वर्ग के लोग हैं जो ओबीसी में आना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग ओबीसी में आना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग ओबीसी में आना चाहते हैं, राजस्थान के लोग ओबीसी में आना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग ओबीसी में आना चाहते हैं एवं अन्य जगहों के लोग ओबीसी में आना चाहते हैं। जब यह आयोग गठित होगा तो निश्चित तौर पर उनको

यह अधिकार मिलने जा रहा है कि वे इन विषयों पर विचार करेंगे, विचार करने के बाद यदि राज्य की सरकार का विषय होगा तो राज्य सरकार के पास भेजेंगे, केन्द्र से संबंधित होगा तो केन्द्र की संसद में भेजें।, यहां उसे उनको जोड़ने और बाहर निकालने का अधिकार मिल जाएगा।

निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, इस विधेयक का मैं पूरजोर स्वागत करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों और सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि पिछड़े वर्गों के लिए आप सभी अपना पूरा सहयोग दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कल्याण बनर्जी जी।

मैं किसी को नहीं रोक रही हूं, लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि जब इस बिल पर पूरी चर्चा हो चुकी है, अगर आप अमेंडमेंट तक ही सीमित रहें तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, the Chief Whip of the BJP came to us and said that it should not take much time and that we will complete it quickly. But now I find that they have changed their stand as their speaker has spoken for 30 minutes. Nobody is opposing the Bill.

HON. SPEAKER: I am not objecting you also. I am saying that it is only an amendment.

SHRI KALYAN BANERJEE : Now this amendment has been brought to the Bill. I had also objected to it earlier. You do not claim that these facilities are being given to the OBCs by the present Government. There was almost a revolution in the country. The Mandal Commission was implemented. The matter was referred to the Supreme Court of India under article 143. The Supreme Court of India had passed the order. So neither it has been done by Modi Ji nor any other Ji. किसी जी ने यह नहीं किया है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। So you do not claim that you have done this...(व्यवधान) आप दस सालों से कहां थे?...(व्यवधान) दस सालों में क्या-कितना हुआ है, आप क्या जानते हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठे-बैठे कोई चर्चा नहीं होगी।

...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : You do not claim credit for something which you have not done. So as far as OBCs are concerned, the beginning point is the judgment of the Supreme Court. A Constitution Amendment was brought in the month of April 2017. The OBC Commission wanted to have constitutional status and nothing more than that. We had agreed to it that it should be given constitutional status. At that time also I participated in the discussion on that amendment. At that time also I asked as to why the report should be sent

to the Governor. I had said that it should be sent to the State Government. Now good sense has prevailed on the Government and they have come up with this amendment. At that time, they did not like it but good sense has prevailed now that the report should be placed before the State Government and the State Government will forward it to the State Legislature. That was our demand. आप लोगों ने नहीं सोचा था, हम लोगों ने सोचा था, बाद में आपके दिमाग में आया, यही करना चाहिए। आप लोगों ने नहीं सोचा था। So many tall claims are being made.

The Sachar Committee had pointed out that there are OBCs in the Muslim community also and they too have to be included. मोदी जी नहीं लाए हैं, आप नहीं लाए, it was pointed out first by the Sachar Committee. You must tell the truth. The nation should know. ... (व्यवधान) आप चिल्लाएं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके गले बुलंद हैं लेकिन बार-बार ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : The Sachar Committee report speaks about earmarking OBCs of the Muslim community also.

In 2011, when our Party came to power, hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee, started the process of identification of OBCs among Muslims. It has been done in 2011 itself and not in 2014. It was done long before 2014 when the Prime Minister had seen the dream, the dream itself got fulfilled in West Bengal. Long back, it had been done. Therefore, do not make tall claims. If you want to give an election speech, go there and do it.

You have faced the situation in Gujarat. What have you done there in the case of OBCs? Why are the OBCs now fighting against you in Gujarat? They are vociferous against you in Gujarat and the result has shown on how you have gone down there. It is because you have not accommodated the OBCs in Gujarat. This is the reality.

Madam, I want to point out one thing. The Commission will make the investigation – the hon. Minister is here – under article 338(5) of the Constitution. The provisions are made to investigate and monitor. There, you have not given any scope for the State Governments to speak or press the case of the State Governments. The State Government represents its own people. They understand and they know as to who will be categorised as OBCs. That opinion should be given by the State Governments. There is no scope at all in the amendment to call for the opinion of the State Governments for consideration of the National Commission.

Under Clause 7, when the Report is placed before the State Government, the State Government will place it before the respective Legislature. Acceptance and non-acceptance will be given by them. What would be the effect of it? If the State Government is not agreeing to it, what is the scope of it? Where will the State Government raise their objection? You have not made any provision for it in the amendment.

Now, there is a contra-provision. There is no scope under this Constitution Amendment at any stage for the State Government to place its view before the Commission but you have made a provision under clause 9 that the Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting the socially and educationally backward classes. When you are thinking about OBCs, you are not taking the views of the State Governments but you are telling that the State Governments have to take decisions in consultation with the National Commission. This is a contradiction. And you are talking about cooperative federalism! Is this an illustration of cooperative federalism? Rather, it hits cooperative federalism itself. You have to take every party into confidence. Every State should be consulted. ... (*Interruptions*)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): अध्यक्ष महोदया, कल्याण बैनर्जी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

...(*व्यवधान*)

SHRI KALYAN BANERJEE : Where is the provision? Do not say like this. Let the hon. Minister give the reply on this point. Where is the clause for this in the Bill? ... (*Interruptions*) You cannot prevent the Opposition speak. You cannot prevent the Opposition view. You have to take note of the view of the Opposition. ... (*Interruptions*) You cannot shout in this way. ... (*Interruptions*) Madam, what is happening here? Madam, kindly tell me as to why he is disturbing me. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only Shri Kalyan Banerjee's statement will go on record.

... (*Interruptions*) *

HON. SPEAKER: I have not permitted you. Please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is this?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is this happening?

... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : He is a Minister. ... (*Interruptions*) Is this the way the Minister would speak in the House?

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Kalyan Banerjee's speech.

...(Interruptions) *

SHRI KALYAN BANERJEE : I am very sorry. ... (*Interruptions*) See the body language of the Minister. ... (*Interruptions*) This is the body language of the Minister. ... (*Interruptions*) I am very sorry.

HON. SPEAKER: Only Shri Kalyan Banerjee's speech will go on record.

...(Interruptions) *

SHRI KALYAN BANERJEE : I have not said that. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can make your point when your turn comes.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee, please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE : How can I speak if the Minister intervenes in this way? ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप इस तरफ देखकर बोलिए। प्रत्येक सदस्य उठकर न बोलें।

...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : आप हाउस को गलत जानकारी दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : हमने कुछ गलत नहीं कहा है। गलत बात आपने कही है। ...
(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग आपस में मत लड़िए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गणेश सिंह जी, प्लीज बैठिए।

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, see how the Opposition is being threatened. ...
(Interruptions) This is not the way. ... (Interruptions) A Minister cannot behave in this way.
... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Thursday, the 4th January, 2018 at 11 a.m.

13.38 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

On Thursday, January 4, 2018/Pausha 14, 1939 (Saka).

